संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं

सतपुड़ा भवन भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक /2/अवि./सेल-डी.पी.सी./2014/ भोपाल, दिनांक

//आदेश//

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के आदेश क्रमांक/2/अवि./सेल-डी.पी.सी./2013/836-आई, दिनांक 27.09.2013 के सरल क्रमांक 04 पर अंकित श्रीमती लक्ष्मी गाड़गे मलेरिया निरीक्षक, जिला खरगोन की पदोन्नति सहायक मलेरिया अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शिवपुरी के अधीन की गई है ।

श्रीमती लक्ष्मी गाड़गे की पारिवारिक कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये उन्हें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बड़वानी के अधीन पदस्थ किया जाकर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

''स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित''

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक /2/अवि./सेल-डी.पी.सी./2014/76-N भोपाल, दिनांक 01/02/2014

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर/इन्दौर संभाग म.प्र. ।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शिवपुरी/खरगोन/बड़वानी म.प्र. ।
3. संयुक्त संचालक (मलेरिया) स्थानीय कार्यालय म.प्र. ।
4. जिला मलेरिया अधिकारी शिवपुरी/खरगोन/बड़वानी म.प्र. ।
5. श्रीमती लक्ष्मी गाड़गे मलेरिया निरीक्षक, द्वारा- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी खरगोन, म.प्र. की ओर पालनार्थ ।

01/02/14

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक 2/अवि./सेल–डी.पी.सी/2013/ भोपाल,दिनांक / /2013

:: आदेश ::

संचालनालय स्तर पर दिनांक 24.07.2013 को विभागीय पदोन्नति समिति की अनुसंशा पर निम्नलिखित मलेरिया निरीक्षक को सहायक मलेरिया अधिकारी के पद पर वेतनमान रूपये 5200–20200 +ग्रेड पे 2800 में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत करते हुये उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन अस्थाई तौर से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है।

क.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना स्थान
1	श्री बी.एल. शर्मा (अनारक्षित)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा के अधीन
2	श्री शम्भू सिंह (अनारक्षित)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पन्ना	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दमोह के अधीन
3	श्रीमती जमुना भिंडे (अनुसूचित जाति)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इन्दौर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गुना के अधीन
4	श्रीमती लक्ष्मी गाडगे (अनुसूचित जाति)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी खरगोन	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शिवपुरी के अधीन
5	श्री एल.एन. कावरे (अनुसूचित जाति)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैतूल	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होशंगाबाद के अधीन
6	श्रीमती प्रभू लोदवाल (अनुसूचित जाति)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इन्दौर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी देवास के अधीन
7	श्री जमुना कोली (अनुसूचित जाति)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झाबुआ	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलीराजपुर के अधीन
8	श्रीमती लक्ष्मी शिन्दे (अनुसूचित जाति)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल के अधीन
9	श्रीमती हेमलता मरावी (अनुसूचित जन जाति)	मुख्य चिकित्सा एद स्वास्थ्य अधिकारी मण्डला	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शहडोल के अधीन
10	श्रीमती डी कठोते (अनुसूचित जन जाति)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बालाघाट	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बालाघाट के अधीन
11	श्रीमती शालोमित बसोनिया (अनारक्षित)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी खरगोन	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीहोर के अधीन
12	श्रीमती एस. मर्सकोले (अनुसूचित जन जाति)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिवनी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिवनी के अधीन
13	श्रीमती रामबाई उइके (अनुसूचित जन जाति)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मण्डला	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उमरिया के अधीन
14	श्री गोविन्द सिंह गोंड (अनुसूचित जन जाति)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर के अधीन
15	श्रीमती सुमन कोल (अनुसूचित जन जाति)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर के अधीन
16	श्रीमती ट्रीजा क्लेमन (अनुसूचित जन जाति)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नीमच	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मन्दसौर के अधीन
17	श्री नारायण सिंह गोंड (अनुसूचित जन जाति)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विदिशा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विदिशा के अधीन

18	श्री पदम सिंह कुशवाह (अनारक्षित)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ग्वालियर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ग्वालियर के अधीन
19	श्री के.पी. खरे (अनारक्षित)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नरसिंहपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नरसिंहपुर के अधीन
20	श्रीमती सरला शिवचरण (अनुसूचित जाति)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दतिया	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दतिया के अधीन
21	श्रीमती एस.के. उइके (अनुसूचित जन जाति)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छिन्दवाडा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छिन्दवाडा के अधीन
22	श्रीमती सुशीला सैयाम (अनुसूचित जन जाति)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मण्डला	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कटनी के अधीन
23	श्रीमती दुर्गा जोनाथन (अनुसूचित जन जाति)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी खरगोन	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिण्ड के अधीन

1. पदोन्नत कर्मचारियों में से किसी कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय जॉच/आपराधिक प्रकरण लंबित है अथवा निलंबित है, तो उन्हें कार्यमुक्त न करते हुये उसकी सूचना तत्काल संचालनालय को भेजे।
2. पदोन्नति पद एवं स्थान पर आदेश प्राप्ति के उपरांत 15 दिवस की अवधि में पदोन्नत कर्मचारी को अपना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है । अन्यथा यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
3. संबंधित कर्मचारियों के कार्यमुक्त होने/कर्तव्य पर उपस्थित होने की सूचना संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संचालनालय को 07 दिवस मे आवश्यक रूप से भेजना होगा।
4. पदोन्नत कर्मचारियों के समस्त मूल अभिलेखों, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन कराई जाने की पूर्णरूपेण जिम्मेदारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की होगी। सभी प्रमाण पत्रों के परीक्षण उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जाना आवश्यक होगा। यदि कर्मचारी संबंधित संवर्ग के अधीन न आता हो अथवा प्रमाणपत्र संदिग्ध लगता है तो उन्हें कार्यमुक्त न करते हुये उसकी सूचना तत्काल संचालनालय को विशेष डाक द्वारा भिजवाई जाना सुनिश्चित करें।
5. मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति)नियम 2002 के तहत निर्धारित अनुसूचित जाति /अनुसूचित जन जाति के लिये आरक्षण संबंधी निर्देशो का पालन किया गया है ।

<u>स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित</u>

हस्ता/-
(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक 2/अवि./सेल–डी.पी.सी/2013/837-I — भोपाल,दिनांक 27/09/2013

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल मध्यप्रदेश ।
2. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश ।
3. अध्यक्ष, विभागीय पदोन्नति समिति, स्थानीय कार्यालय।
4. संयुक्त संचालक /उप संचालक (मलेरिया) स्थानीय कार्यालय ।
5. संचालक एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
6. समस्त,संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य संवायें मध्यप्रदेश ।
7. समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मध्यप्रदेश।
8. समस्त, जिला मलेरिया अधिकारी मध्यप्रदेश ।
9. समस्त, जिला कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित कर्मचारी, उपरोक्तानुसार की और पालनार्थ।

27/9/13

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश